**भारतीय,**

**राजकीय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**संख्या:- प्राविधिकपरिषद् मथुरा/2021-22/** **लखनऊ: दिनांक: [illegible]**

**/कार्यालय ज्ञाप/.**

[illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा में [illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा द्वारा [illegible] के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ के [illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा में [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] की [illegible] [illegible] में [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] द्वारा [illegible] में [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा में [illegible] द्वारा [illegible] में [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा द्वारा किये जाने हेतु [illegible]

[illegible] के [illegible] में [illegible] के अनुक्रम में [illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा द्वारा [illegible] में [illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा में [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] द्वारा [illegible] में [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] राजकीय पॉलीटेक्निक, मथुरा द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

**राजकीय पॉलीटेक्निक मथुरा में प्रवेश हेतु सीटों का विवरण : GOVT. G M POLYTECHNIC MATHURA**

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | [illegible] सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | CIVIL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 2 | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL) | 60 | 60 |
| 3 | ELECTRICAL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 4 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60 | 60 |
| 5 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 60 | 60 |

राजकीय द्वि० सी०

- ✓ राजकीय [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी सभी सीटों का भुगतान सम्पन्न करेंगे।
- ✓ राजकीय [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, विनियमावली, [illegible] विनियमावली,[illegible] तथा [illegible] विनियमावली तथा [illegible] के अनुपालन करेंगे तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क लेंगे तथा [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] में [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण शुल्क, [illegible] शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सत्र 2021-22 हेतु [illegible] के अनुरूप निर्धारित किया जाना है, से अधिक नहीं लेंगे तथा लागू होंगे।
- ✓ राजकीय [illegible] उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषदीय तथा उत्तर प्रदेशीय, राजकीय नीति के सम्बन्ध किया जाना विनियमावली, प्रवेश नीति सम्बन्धी आदेश का अनुपालन करेंगे।
- ✓ राजकीय में अनुमन्य प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सभी सीटों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रहने की दशा में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया में उपलब्ध प्रवेश के विनियमानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ राजकीय की समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विनियमन एवं प्रवेश्यता शुल्क वसूल करना होगा।
- ✓ राजकीय की [illegible] द्वारा [illegible] के अनुरूप विनियमन द्वारा किये जाने वाले व्यवस्थापन होगा।

- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]
- ✓ [illegible]

(सुनील कुमार चौरसिया)

सचिव

पृ०सं०- प्राविधिक/परीक्षा/ [illegible]/2021-2020-4000 दिनांक: [illegible]/2021

प्रतिलिपि-

प्राचार्य/संकाय A S M POLYTECHNIC MATHURA

(सुनील कुमार चौरसिया)

सचिव

# कार्यालय,

# प्राविधिक शिक्षा परिषद,

## उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**संख्या:- प्राविधिक/परिषद् सम्बद्धता/2022/7917** **लखनऊ: दिनांक: 30/06/2022**

## (कार्यालय ज्ञाप)

महोदय/महोदया, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/कार्यालय कार्यालय प्रमुख, नई दिल्ली द्वारा दिनांक सत्र 2022-23 हेतु निजकोष/ब्रांचिंग उत्तर-पश्चिमी शिक्षण संस्थान की की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30.06.2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु महाविद्यालय नई संस्थान की की सम्बद्धता नई से संचालित संस्थान की की सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता वृद्धि, समिति भवन नहीं पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थान को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता वृद्धि प्रदान करने हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का संक्षिप्त पूरा नाम : 1685-A. S.M POLYTECHNIC**

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | एस-आई.एम.पॉलिटेक्निक पीलीभीत-आईटी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | CIVIL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 2 | ELECTRICAL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 3 | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL) | 0 | 0 |
| 4 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | 60 |
| 5 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60 | 60 |
| 6 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 60 | 60 |

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

✓ संस्था एस-आई.एम.पॉलिटेक्निक-पीलीभीत-आईटी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली, 1992, विनियमावली-2000, बैचलर ऑफ विनियमावली-2000 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 10,000/-(दस हजार) प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम हेतु ₹ 10,000/-(दस हजार) प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष के वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के अनुसार ₹ 10,000/-(दस हजार) प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राविधिक शिक्षा परिषद के खाते में जमा किया जायेगा। संस्था के अतिरिक्त अन्य शुल्क विभाग के अनुसार शिक्षकों के शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले

[illegible] प्रपत्रों [illegible] [illegible] [illegible]

**भारतीय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**संख्या:- प्राविधिक/परिषद् सम्बद्धता/2023-1/2000001** **लखनऊ: दिनांक: 13-09-2023**

**(भारतीय आदेश)**

परिषद पालीटेक्निक (उच्च-शिक्षी) शिक्षा परिषद् पूर्व पालीटेक्निक भारतीय-नीति (डिप्लोमा, नई दिल्ली) द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में सम्बन्धित डिप्लोमा पालीटेक्निक उच्च-शिक्षी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन निर्गत प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ में सम्बद्धता निर्गत प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद् भारतीय में सम्बद्धता समिति की बैठक तथा पुनः बैठक में सत्र 2023-24 हेतु परिषद पालीटेक्निक उच्च-शिक्षी शिक्षा परिषद्/पालीटेक्निक भारतीय (डिप्लोमा, नई दिल्ली) द्वारा संस्थानों को प्रदान अनुमोदन निर्गत एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थानों को सम्बद्धता निर्गत प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये निर्णय के अनुपालन में निम्न संस्थान को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पालीटेक्निक एवं उपाधि अधीक्षक प्रवेश कराने हेतु सम्बद्धता निर्गत प्रदान की जाती है:-

**संस्थान का नाम एवं पूर्ण पता : 14001-A S M POLYTECHNIC**

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम/प्रविष्टि/स्वीकृत पीजीडिप्लोमा द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | CIVIL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 2 | ELECTRICAL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 3 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60 | 60 |
| 4 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 60 | 60 |
| 5 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 60 | 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुशासन 2 उच्च प्राविधिक शिक्षण के पत्र संख्या 2010/एस-2/प्राविधिक शिक्षा/2010-1 दिनांक 14 मई 2010 द्वारा पूर्व में संस्थानों/संस्था संस्थानों की सीट के विरुद्ध पालीटेक्निक संस्थानों में संबंधित विषय संबंधित संस्थान/संस्थानों के प्रवेशित विषयों के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था संबंधित पालीटेक्निक उच्च-शिक्षी शिक्षा परिषद्/पालीटेक्निक भारतीय (डिप्लोमा, नई दिल्ली) द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संबंधित पालीटेक्निक उच्च-शिक्षी शिक्षा परिषद्/पालीटेक्निक भारतीय (डिप्लोमा, नई दिल्ली) के मानक के अनुपालन संबंधित में समस्त सम्बन्धित प्रपत्रों, भवन, लैब उपकरण, फर्नीचर उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् उच्च स्तरीय एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालयी स्तरीय, विश्वविद्यालयी उपाधि, विश्वविद्यालयी उपाधि, एवं समस्त-समस्त पर निर्दिष्ट सम्बन्धित कार्य अनुपालन करेगी एवं मुख्य निदेशक समिति द्वारा निर्धारित मुख्य ही प्राविधिक सम्बन्धित में प्रदान किया गया/संबंध उपलब्ध के अतिरिक्त प्रावधानों के मुख्य के सम्बन्ध में समस्त, समस्त पर विभाग द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शुल्कादि प्रवृत्ति होगी, और अनुपालन करनेवाली विभाग अथवा सम्बन्धित शिक्षण परिषद निदेशक समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु परिषद का पूर्णतया विभाग करना है, उक्त परिषद की पालीटेक्निक से अन्य होगी।

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव

**पृ०सं०- प्रविविप्रा/सिंह अभ्य/2023/1209003-1209123** **दिनांक: 12-09-2023**

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक **A S M POLYTECHNIC**

(अजीत कुमार सिंह)

सचिव